

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

जाँच
02/03/21

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक 02 फरवरी, 2021

विषय: प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष को सम्बन्धित विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश रखने के उद्देश्य से अपने-अपने विभागों के अन्तर्गत सतर्कता अधिकारी नामित करते हुए उसकी सूचना निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-44/सतर्कता-2004 दिनांक 26.02.2004 एवं तदसम्बन्धी अन्तिम अनुस्मारक पत्र दिनांक 29.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 26.02.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष को ही सम्बन्धित विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया जाता है। कृपया तदनुसार नामित अधिकारियों से सम्बन्धी सूचना सतर्कता अनुभाग को निम्न प्रपत्र पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

क0सं0	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	दूरभाष संख्या/ई-मेल	
		कार्यालय	आवास
1	2	3	4

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक नामित अधिकारी/विभागाध्यक्ष अपेक्षित समय-सीमा (अधिकतम एक माह) के भीतर मांगी गयी वांछित सूचना सतर्कता अधिष्ठान/विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 55 /XXX-5 /21-38(06)2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड देहरादून।

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।